

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एन-2611)/अलेसे-II/3051

दिनांक:- 15-5-2024

कार्यालय आदेश

श्री नरेन्द्र कुमार चौहान, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय राजकीय श्री रामगोपाल जटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिसाऊ, झुन्झुनू को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 03.10.2016 के आधार पर शासन सचिव वित्त (बजट), (नियम खण्ड), वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में नियमानुसार मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 1200/-) प्रति माह वाहन भत्ता स्वीकृत करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति श्री नरेन्द्र कुमार चौहान द्वारा आवेदित प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.03.2023 के आधार पर दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी होगी।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन,
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(जे-2886)/अलेसे-II/3051

दिनांक:- 15-5-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. चिकित्साधिकारी प्रभारी, राजकीय श्री रामगोपाल जटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिसाऊ, झुन्झुनू।
2. श्री नरेन्द्र कुमार चौहान, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिसाऊ, झुन्झुनू।
3. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
4. पदस्थापन सीट/निजि/रक्षित पत्रावली।


(कै. जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)